भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1611
सोमवार, 2 मार्च, 2020/12 फाल्गुन, 1941 (शक)

बेरोजगार युवा

1611. श्री एस॰ मुनिस्वामीः
श्री हनुमान बेनीवालः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष के दौरान बेरोजगार युवाओं/महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है;
(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा राज्य-वार क्या उपाय किये गए हैं/योजना बनाई गई है; और
(घ) सरकार बेरोजगारी और रोजगार की मांग करने वाली नई पीढ़ी के बड़े पैमाने पर प्रवासन के मुद्दे को किस प्रकार हल करने की योजना बना रही है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) एवं (ख): राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2017-18 के दौरान आयोजित किए गए वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के परिणामों के अनुसार, महिलाओं सहित 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों का सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) आधार पर उपलब्ध सीमा तक राज्य-वार अनुमानित बेरोजगारी दर अनुबंध-I में दी गई है।

(ग) एवं (घ): नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने, पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को गति प्रदान करने और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं। देश में इन योजनाओं के माध्यम से सृजित रोजगार के राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरे उपलब्ध सीमा तक क्रमशः अनुबंध- II, III, IV एवं Vमें दिए गए हैं।

स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय देश भर में चार वर्षों अर्थात् 2016-2020 के लिए अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) एवं पूर्व सीखने को मान्यता (आरपीएल) के तहत एक करोड़ व्यक्तियों को कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) 2016-20 नामक एक फ्लैगशीप योजना का कार्यान्वयन कर रहा है।

सरकार ने स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है।

सरकार ने राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना को कार्यान्वित किया है, जिसमें एक ऐसा डिजिटल पोर्टल शामिल है जो गतिशील, दक्ष एवं सकारात्मक ढंग से योग्यता अनुरूप रोजगार हेतु रोजगार चाहने वालों एवं नियोक्ताओं के लिए एक राष्ट्र-व्यापी ऑनलाइन मंच प्रदान करता है तथा इसमें रोजगार चाहने वालों हेतु आजीविका संबंधी विषय-वस्तु का भंडार है।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्द्धन योजना (एनएपीएस) जैसी योजनाएं, जिनमें सरकार शिक्षुओं को देय वृत्तिका के 25 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति करती है, भी रोजगार प्राप्त करवाने हेतु युवाओं की नियोजनीयता को बढ़ाती हैं।

*****

अनुबंध-I

लोक सभा के दिनांक 02.03.2020 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1611 के भाग (क) एवं (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की उपलब्ध सीमा तक सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) आधार पर बेरोजगारी दर का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	बेरोजगारी दर (% में)	
		श्रम ब्यूरो के सर्वेक्षण	एनएसओ (पीएलएफएस) के सर्वेक्षण
		2015-16	2017-18
1	आंध्र प्रदेश	3.5	4.5
2	अरुणाचल प्रदेश	3.9	5.8
3	असम	4.0	7.9
4	बिहार	4.4	7.0
5	छत्तीसगढ़	1.2	3.3
6	दिल्ली	3.1	9.4
7	गोवा	9.0	13.9
8	गुजरात	0.6	4.8
9	हरियाणा	3.3	8.4
10	हिमाचल प्रदेश	10.2	5.5
11	जम्मू और कश्मीर	6.6	5.4
12	झारखंड	2.2	7.5
13	कर्नाटक	1.4	4.8
14	केरल	10.6	11.4
15	मध्य प्रदेश	3.0	4.3
16	महाराष्ट्र	1.5	4.8
17	मणिपुर	3.4	11.5
18	मेघालय	4.0	1.6
19	मिजोरम	1.5	10.1
20	नागालैंड	5.6	21.4
21	ओडिशा	3.8	7.1
22	पंजाब	5.8	7.7
23	राजस्थान	2.5	5.0
24	सिक्किम	8.9	3.5
25	तमिलनाडु	3.8	7.5
26	तेलंगाना	2.7	7.6
27	त्रिपुरा	10.0	6.8
28	उत्तराखंड	6.1	7.6
29	उत्तर प्रदेश	5.8	6.2
30	पश्चिम बंगाल	3.6	4.6
31	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	12.0	15.8
32	चंडीगढ़	3.4	9.0
33	दादर और नगर	2.7	0.4
34	दमन और दीव	0.3	3.1
35	लक्षद्वीप	4.3	21.3
36	पुडुचेरी	4.8	10.3
	अखिल भारत	3.7	6.0

स्रोत: 1. वार्षिक रिपोर्ट, पीएलएफएस, 2017-18, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय।

2. रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षण, श्रम ब्यूरो।

टिप्पणी: पीएलएफएस और श्रम ब्यूरो सर्वेक्षण में सर्वेक्षण पद्धति तथा प्रतिदर्श चयन अलग-अलग है

अनुबंध -II

लोक सभा के दिनांक 02.03.2020 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1611 के भाग (ग) एवं (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत सृजित रोजगार का राज्य /संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	सृजित अनुमानित रोजगार (व्यक्तियों की संख्या)		
		2017-18	2018-19	2019-20 (31.12.2019 तक)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1744	1832	320
2	आंध्र प्रदेश	12216	17760	10056
3	अरुणाचल प्रदेश	1672	2240	896
4	असम	18256	29896	7576
5	बिहार	18456	26424	7368
6	चंडीगढ़	360	224	10304
7	छत्तीसगढ़	11704	24752	448
8	दिल्ली	920	1056	376
9	गोवा	400	624	21648
10	गुजरात*	15008	28000	8712
11	हरियाणा	13744	17320	6192
12	हिमाचल प्रदेश	7088	11192	20336
13	जम्मू और कश्मीर	30024	60232	4808
14	झारखंड	8888	14376	16280
15	कर्नाटक	16920	29256	10152
16	केरल	10776	19888	0
17	लक्षद्वीप	00	00	6808
18	मध्य प्रदेश	14432	20208	20032
19	महाराष्ट्र**	26632	45136	2848
20	मणिपुर	4800	10328	1168
21	मेघालय	600	3120	2200
22	मिजोरम	1992	8984	2224
23	नागालैंड	7440	9664	9136
24	ओडिशा	19192	24560	320
25	पुडुचेरी	352	608	7448
26	पंजाब	12160	14408	11648
27	राजस्थान	12616	18872	304
28	सिक्किम	296	440	22904
29	तमिलनाडु	32760	41480	9088
30	तेलंगाना	9520	16408	1960
31	त्रिपुरा	8928	9432	80
32	उत्तर प्रदेश	43456	41944	17424
33	उत्तराखंड	12904	17448	6880
34	पश्चिम बंगाल	10928	19304	9872
	योग	387184	587416	257816

स्रोतः सूक्ष्म, लघू एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय

*** दमन एवं दीव सहित**

**** दादर एवं नगर हवेली सहित**

अनुबंध -III

लोक सभा के दिनांक 02.03.2020 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1611 के भाग (ग) एवं (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के तहत सृजित मानव दिवस का राज्य /संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा

		सृजित मानव दिवस (करोड़ में)		
क्र.सं.	राज्य	2017-18	2018-19	2019-20 (28.01.2020 तक)
1	आंध्र प्रदेश	21.21	24.65	15.77
2	अरुणाचल प्रदेश	0.43	0.69	0.56
3	असम	4.81	5.33	4.54
4	बिहार	8.17	12.34	10.28
5	छत्तीसगढ़	11.99	13.86	10.20
6	गोवा	0.010	0.0015	0.0015
7	गुजरात	3.53	4.20	2.77
8	हरियाणा	0.90	0.78	0.65
9	हिमाचल प्रदेश	2.20	2.85	2.01
10	जम्मू और कश्मीर	3.71	3.69	1.49
11	झारखंड	5.93	5.37	5.38
12	कर्नाटक	8.57	10.45	9.32
13	केरल	6.20	9.75	6.09
14	मध्य प्रदेश	16.22	20.30	15.90
15	महाराष्ट्र	8.25	8.46	4.93
16	मणिपुर	0.61	1.17	1.62
17	मेघालय	2.92	3.42	2.35
18	मिजोरम	1.44	1.81	1.63
19	नागालैंड	2.00	1.33	0.95
20	ओडिशा	9.22	8.31	7.91
21	पंजाब	2.23	2.04	1.93
22	राजस्थान	23.98	29.42	2.79
23	सिक्किम	0.35	0.34	0.22
24	तमिलनाडु	23.89	25.77	21.03
25	तेलंगाना	11.48	11.77	9.75
26	त्रिपुरा	1.76	2.53	2.75
27	उत्तर प्रदेश	18.15	21.22	19.86
28	उत्तराखंड	2.23	2.22	1.32
29	पश्चिम बंगाल	31.26	33.83	16.38
30	अंडमान और निकोबार	0.02	0.02	0.0017
31	लक्षद्वीप	0.0006	0.0010	0.0003
32	पुडुचेरी	0.07	0.07	0.061
	योग	233.74	267.99	205.77

स्रोतः ग्रमीण विकास मंत्रालय (एमआईएस)

अनुबंध -IV

लोक सभा के दिनांक 02.03.2020 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1611 के भाग (ग) एवं (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पं. दीन दयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) के तहत प्रशिक्षण के बाद रोजगार में नियोजित अभ्यर्थियों की कुल संख्या का राज्य-वार ब्यौरा

		प्रशिक्षण के बाद रोजगार में नियोजित अभ्यर्थियों की संख्या		
क्र.सं.	**राज्य**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**
1.	आंध्र प्रदेश	**10954**	**24841**	**6106**
2.	असम	**3464**	**7397**	**11842**
3.	बिहार	**4859**	**5851**	**4381**
4.	छत्तीसगढ़	**539**	**2583**	**3396**
5.	गुजरात	**160**	**1486**	**1896**
6.	हरियाणा	**5832**	**3919**	**5657**
7.	हिमाचल प्रदेश	**0**	**576**	**651**
8.	जम्मू और कश्मीर	**1424**	**631**	**1203**
9.	झारखंड	**2375**	**3421**	**6681**
10.	कर्नाटक	**4752**	**5411**	**5048**
11.	केरल	**4175**	**9656**	**5751**
12.	मध्य प्रदेश	**1823**	**2098**	**1732**
13.	महाराष्ट्र	**7390**	**4500**	**7113**
14.	मणिपुर	**0**	**0**	**466**
15.	मेघालय	**0**	**253**	**424**
16.	मिजोरम	**0**	**0**	**302**
17.	नागालैंड	**0**	**0**	**353**
18.	ओडिशा	**14035**	**31481**	**26072**
19.	पंजाब	**563**	**1443**	**972**
20.	राजस्थान	**693**	**3381**	**4338**
21.	सिक्किम	**0**	**64**	**32**
22.	तमिलनाडु	**765**	**185**	**1958**
23.	तेलंगाना	**9048**	**15604**	**6131**
24.	त्रिपुरा	**526**	**2093**	**304**
25.	उत्तर प्रदेश	**892**	**4839**	**4701**
26.	उत्तराखंड	**0**	**253**	**551**
27.	पश्चिम बंगाल	**1518**	**3700**	**2801**
	योग	**75787**	**135666**	**110862**

स्रोतः ग्रमीण विकास मंत्रालय

अनुबंध -V

लोक सभा के दिनांक 02.03.2020 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1611 के भाग (ग) एवं (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) के तहत नियोजन का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	कौशल प्रशिक्षित व्यक्तियों, जिन्हे नियोजन दिया गया, की संख्या		
		2017-18	2018-19	2019-20 (27.01.2020 तक)
1.	आंध्र प्रदेश	12010	54610	6
2.	अरुणाचल प्रदेश	113	622	1
3.	असम	1284	452	426
4.	बिहार	1546	826	625
5.	छत्तीसगढ़	6476	5182	1041
6.	गोवा	639	1255	27
7.	गुजरात	6388	13213	2727
8.	हरियाणा	685	2945	336
9.	हिमाचल प्रदेश	100	417	100
10.	जम्मू और कश्मीर	25	115	84
11.	झारखंड	20795	6859	827
12.	कर्नाटक	898	0	0
13.	केरल	2413	4509	1392
14.	मध्य प्रदेश	3039	32501	2784
15.	महाराष्ट्र	6083	29227	25715
16.	मणिपुर	0	109	90
17.	मेघालय	111	210	0
18.	मिजोरम	91	1433	564
19.	नागालैंड	1749	0	0
20.	ओडिशा	776	0	0
21.	पंजाब	1139	1473	1176
22.	राजस्थान	33	2725	1009
23.	सिक्किम	0	248	0
24.	तमिलनाडु	1156	2963	170
25.	तेलंगाना	10013	5070	989
26.	त्रिपुरा	2	228	6
27.	उत्तर प्रदेश	30058	738	234
28.	उत्तराखंड	0	1076	77
29.	पश्चिम बंगाल	6919	8954	3554
30.	चंडीगढ़	875	262	106
31.	दिल्ली	0	21	0
	योग	115416	178243	44066

स्रोत: आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय